

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 142058
गा0वि0-2/स्था.-7-04/2009

दिनांक :- 13/03/2013

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह (भा0व0से0),
उप निदेशक (सा0वा0) ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
(अररिया, किशनगंज, बांका एवं लखीसराय जिला को छोड़कर) बिहार ।

विषय:- प्रखंडों को नये वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में ।


प्रसंग:- प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति पूर्व वित्त विभाग द्वारा प्राप्त परामर्श ।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगाधीन परामर्श के आलोक में वैसे प्रखंड जिन्हें नये वाहन उपलब्ध कराया जाना है । उन वाहनों का रद्दीकरण कराया जाना आवश्यक है तथा जिन वाहनों को क्षतिग्रस्त/जला दिया गया है उसकी प्राथमिकी संख्या अंकित किया जाना अपेक्षित है ।

अतएव अनुरोध है कि अपने जिले से संबंधित सूची में संलग्न प्रखंडों के वाहनों जिनका चालन आयु पूर्ण हो चुका है, उनका रद्दीकरण कर सूचना यथाशीघ्र भेजने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके साथ ही, क्षतिग्रस्त/जलाये गये/दुर्घटनाग्रस्त वाहनों से संबंधित प्राथमिकी संख्या शीघ्र संसूचित की जाय ।

अनु0- 101 प्रखंडों की सूची संलग्न ।

विश्वासभाजन



(मनोज कुमार सिंह)

उप निदेशक (सा0वा0)

जापांक:- 142058

दिनांक:- 13/03/2013

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार (अररिया, किशनगंज, बांका एवं लखीसराय जिला को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


उप निदेशक (सा0वा0)

all